आदेश

17.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट केड में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम वीरपुरा के भूमि ख०नं० 195 में वादीगण के पिता टेकचन्द का हिस्सा 1/9 बराबर है इसी प्रकार ख०नं० 197 में टेकचन्द का हिस्सा 1/9 बराबर है ख०नं० 196, 199, 218 में आवेदकगण के पिता टेकचन्द का 2/9 रकबा 40 है० हिस्सा बनता है। प्रकरण में विवादभाग वादीगण के पिता टेकचन्द के हिस्से की भूमि को लेकर है। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 23.6.2014 को दिये गये अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिया गया है। प्रस्तुत आ०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आवेदकगण द्वारा अपने पिता प्रति०नं०। टेकचन्द के हिस्से की भूमि में से अपने हिस्से में आने वाली भूमि का ही अनुतोष चाहा गया है। आवेदकगण का कथन है कि अनावेदकगण नं०। उक्त वर्णित भूमि को रहन या दीगर व्यक्ति को विक्रय करने पर आमदा है तथा आवेदकगण के हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उक्त विवेचन से आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को वाद पत्र का निर्णय होने तक जरिये अस्थाई से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम वीरपुरा के भूमि ख०नं० 195 रकबा 7.08 है० में आवेदकगण का हिस्सा 2/27 एवं भूमि ख०नं० 197 रकबा 0.10 है० में आवेदकगण का हिस्सा 2/27 तथा भूमि ख०नं० 196, 199, 218 किता 3 कुल रकबा 14.83 है० में आवेदकगण का हिस्सा 2/9 दर हिस्सा 3.39 है० एवं 1/81 दर हिस्सा 3.19 है० के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त वर्णित भूमि में आवेदकगण के हिस्से के अलावा शेष भूमि स्थगन आदेश से अप्रभावी रहेगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को कैम्प कोर्ट केड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी